

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, -

क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हो तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

— नहीं —

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी -

गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव में सहमत हैं।

— सहमत हैं —

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारसें।

- प्रभागीय वन अधिकारी झांसी वन प्रभाग झांसी की संस्तुति के आधार पर, वन संरक्षण अधिनियम - 1980 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

तिथि- 13-12-2021

स्थान- झांसी

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम



(डी.पी. सिंह)

सरकारी मुहर

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृक्ष उ०प्र०, झांसी